सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
जिला पंचायत जबलपुर(मैन्यूल्स)

संक्षिप्त जानकारी

- ❖ जिला पंचायत जबलपुर की स्थापना वर्ष 1982 में की गई है ।
- ❖ जिले की कुल जनसंख्या 2151203 है ।
- ❖ इसमें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 923863 है ।
- ❖ अनुसूचित जाति जनसंख्या 273953 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 322890 है
- ❖ जिले में कुल 7 जनपद क्रमशः जबलपुर, पनागर, कुण्डम, पाटन, शहपुरा, सिहोरा एवं मझौली है ।
- ❖ जिले की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 542 है ।
- ❖ जिले में कुल ग्रामों की संख्या 1508 है ।
- ❖ आबाद ग्रामों की संख्या 1394 है ।
- ❖ कार्यालय का पता :– जिला पंचायत(विकास भवन), अम्बेडकर चौक, तहसील आफिस के पास जबलपुर
- ❖ दूरभाष क्रमांक 2624860 फैक्स 2624353 एवं ई–मेल ceozpjab@mp.gov.in
- ❖ कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30
- ❖ कार्यालय बंद होने का समय सायं 5.30

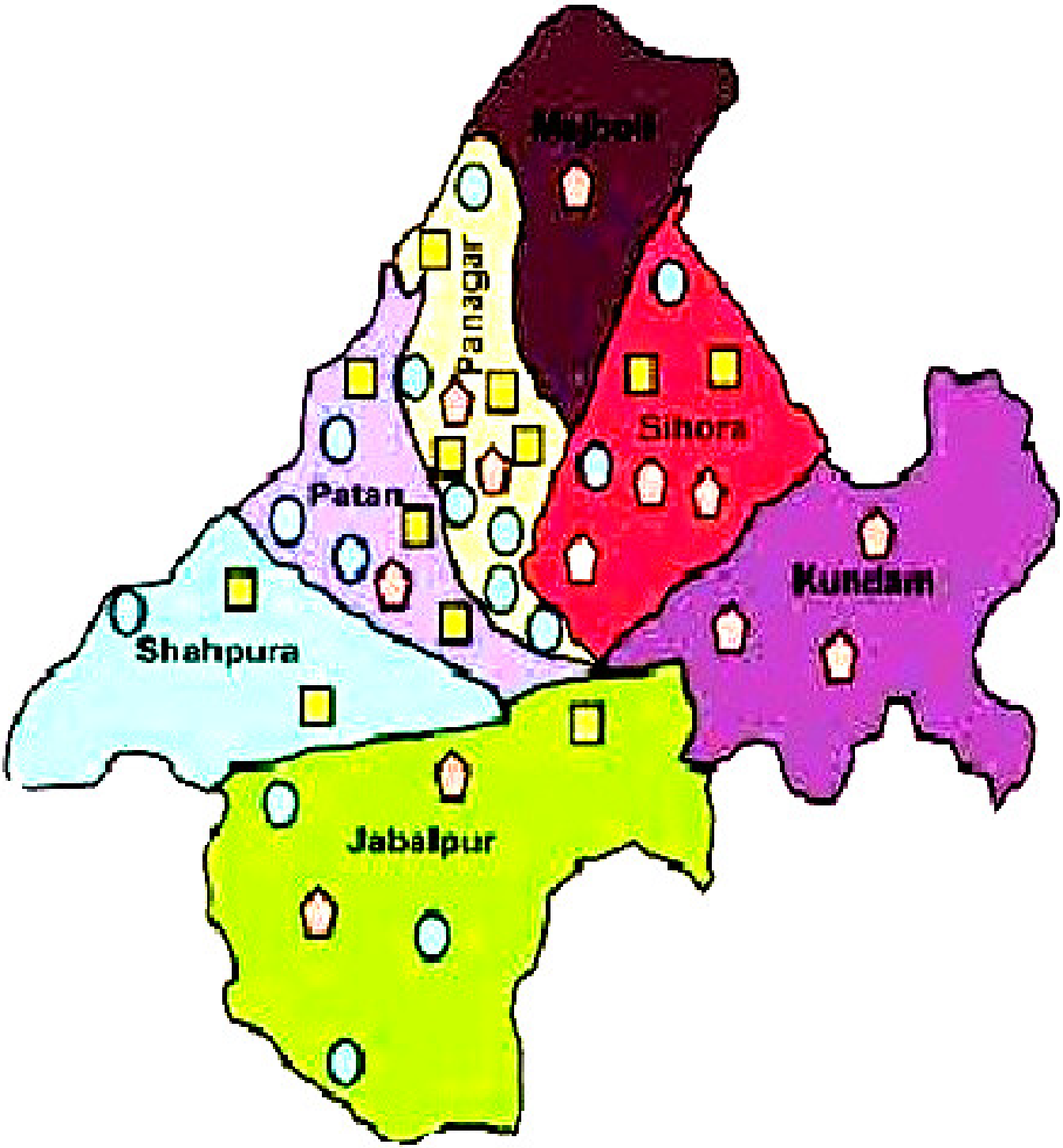

Majholi
Panagar
Sihora
Patan
Kundam
Shahpura
Jabalpur

जिला पंचायत का प्रशासकीय ढांचा

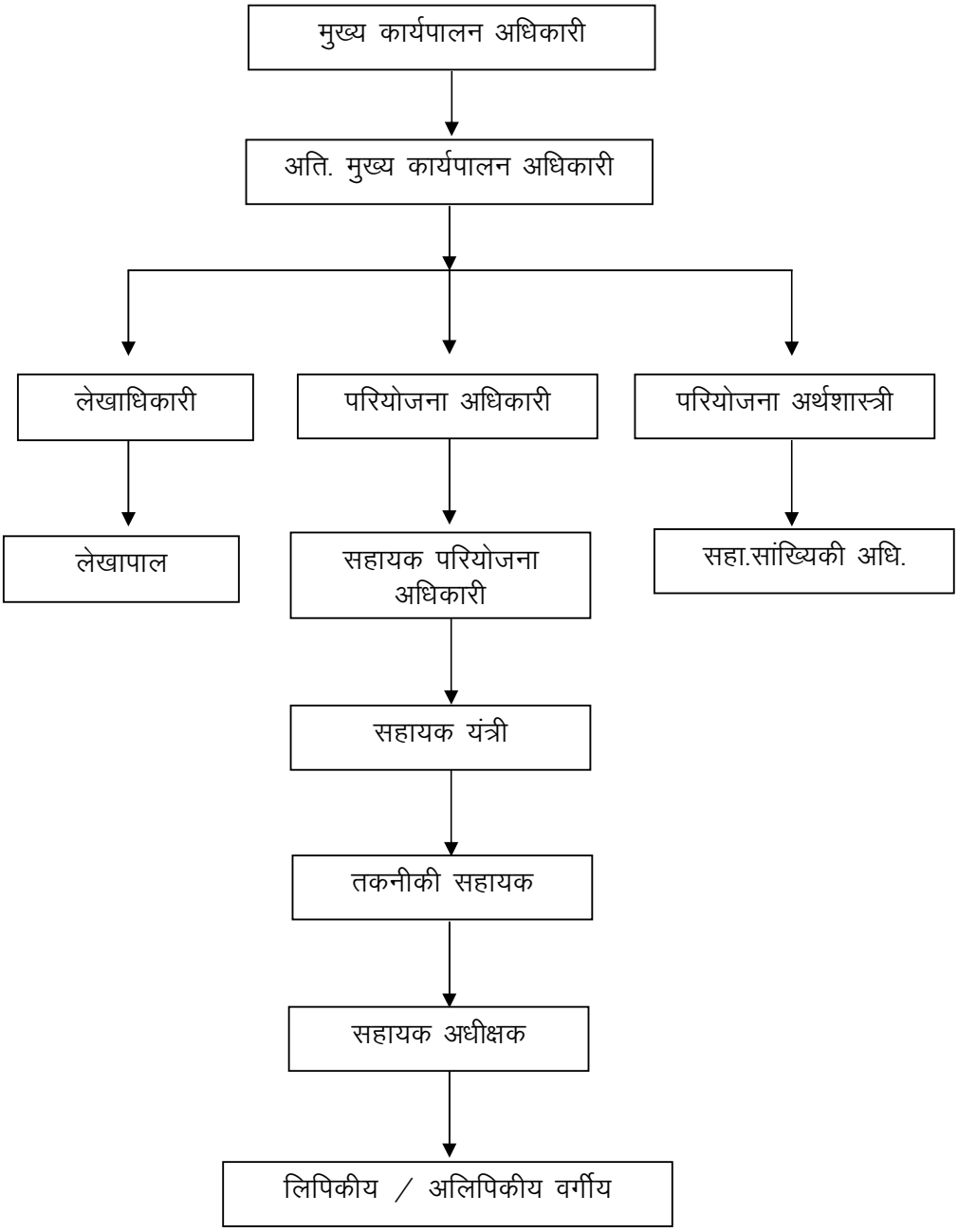

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के गठन का उद्देश्य

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के अतिमहत्वपूर्ण विभागों में से एक है । इस विभाग के गठन का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण है ।

भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतराज व्यवस्था कानून के रूप में लागू की गई । म.प्र. में 25 जनवरी 1994 से स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राजस संस्थाओं की प्रभारी भागीदारी/सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतीराज अधिनियम लागू किया गया है तथा ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था लागू की गई । भारतीय संविधान की 11 सूची में दर्शित 29 विषयो से संबंधित अधिकार तथा कर्तव्य एवं शक्तियां पंचायतराज संस्थाओं को सौंपे गये हैं । त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत की मुख्य प्रशासनिक इकाई के रूप में विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया गया है ।

जिला पंचायत के दायित्व एवं कर्तव्य

- जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और ऐसी योजनाओ के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना ।
- किसी विधि द्वारा सोची गई योजना/उन योजनाओं, जो केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई हो की वार्षिक योजना तैयार करना ।
- विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं की राशि जो केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो उन निधियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डो के अनुसार जनपद एवं ग्राम पंचायत को आवंटित करना ।
- जनपद पंचायत के साथ ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, निगरानी करना एवं उनका मार्गदर्शन करना ।
- विकास संबंधी क्रियाकलापो, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तो, निराश्रितो, महिलाओं, युवाओं, बालको तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के विकास

जनपद पंचायत के दायित्व एवं कर्तव्य

- पंचायत अधिनियम व तदंतर्गत बनाये गये नियतों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन रहते हुए जनपद पंचायत निम्नलिखित कार्यों के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करती है ।
- एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ शिक्षा, संचार एवं लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला एवं बाल विकास , निःशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्गों का कल्याण, युवा कल्याण एवं खेलकूद, परिवार नियोजन एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण ।

अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य

❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण

❖ परियोजना अधिकारी(स्वरोजगार स्कंध)

आयोजना, सामाजिक बल जुटाव, ऋण तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य

❖ परियोजना अधिकारी(रोजगार स्कंध)

निर्माण कार्यों की आयोजना, निगरानी एवं सतर्कता रखना ।

❖ परियोजना अधिकारी(जल संभर स्कंध)

जलसंवर्धन, भूमि संरक्षण के कार्यक्रमों को अनुसमर्थित करने का कार्य ।

❖ परियोजना अर्थशास्त्री(निगरानी स्कंध)

सभी कार्यक्रमों की निगरानी के अतिरिक्त नियमित रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं, विशेषज्ञों जिसमें गैरसरकारी संगठन भी शामिल है के माध्यम से मूल्यांकन प्रमाणित अध्ययन करना साथ ही जिले मे गरीबी से जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा

❖ सहायक परियोजना अधिकारी

गतिविधि समूहों, जिला/ब्लाक/ग्राम समूह योजनाओं का क्रियान्वयन एवं ब्लाक अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए विपणन/संरचना सहित आधार संरचना का नियोजन कार्य, समूह निर्माण, क्षमता निर्माण, समूहों की निगरानी, गतिविधियों का चुनाव, रिवाल्विंग फण्ड की राशि का जारीकरण व समन्वय कार्य।

❖ लेखाधिकारी(लेखा स्कंध)

संपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के आय व्यय का लेखा रखना एवं बजट/आडिट इत्यादि तैयार करना ।

❖ सहायक यंत्री(अभियांत्रिकी स्कंध)

कार्य सामग्री के आंकलन या उपयोग हेतु नवाचारी उपाय करने का दायित्व

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	आवंटित कार्य	लिंक अधिकारी
1.	श्री प्रकाश चतुर्वेदी अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं का कार्य।	श्री जी.एस.तेकाम परियोजना अधिकारी
2	श्री गोरेसिंह तेकाम परियोजना अधिकारी (प्रशासन) डी.आर.डी.ए.	प्रभारी अधिकारी मनरेगा शाखा एवं स्थापना शाखा एवं भण्डार शाखा, सांसद आदर्श ग्राम योजना का कार्य।	श्री प्रकाश चतुर्वेदी अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3	श्री डी0डी. डेहरिया परियोजना अधिकारी	समस्त निर्माण कार्यो की मानीटरिंग। प्रत्येक सप्ताह की अंतिम कार्य दिवस के द्वितीय पारी (Second sift) में समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
4	श्रीमती मंगला निगम लेखाधिकारी	जिला पंचायत के समस्त योजनाओं इंदिरा आवास योजना, आर्थिक गणना, वाटरशेड योजना को छोड़कर) का आहरण एवं वितरण का कार्य, ए0जी0 आडिट कार्य, द्वितीय किश्त के प्रस्ताव प्रेषण का कार्य, अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन इत्यादि आहरण कार्य, जिला पंचायत के टीडीएस कार्य। कोषालय आहरण का समस्त कार्य, जिला पंचायत	श्रीमती कविता पटैल, वरिष्ठ लेखाधिकारी

		लेखा, पंचायत प्रकोष्ठ लेखा, मध्यान्ह भोजन योजना का संवितरण कार्य, एक योजना एवं खाता संबंधी शासन निर्देशों का पालन, स्थानीय निधि संपरीक्षा का ऑडिट कार्य । समस्त पेंशन योजना।	
5.	श्रीमती कविता पटैल, वरिष्ठ लेखाधिकारी **(संविदा)**	जिला पंचायत का बजट तैयार कर अनुमोदन कराना, जिला पंचायत के लेखों का प्रिया साफट में फीडिंग का कार्य, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, आम आदमी, जनश्री बीमा, इंदिरा आवास योजना, आर्थिक गणना, वाटरशेड योजना का संवितरण कार्य । भण्डार शाखा का कार्य ।	श्रीमती मंगला निगम लेखाधिकारी
6.	डॉ परवीन कुरैशी परि. अधिकारी **(संविदा)**	संभागीय हाट बाजार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम, एसजीएसवाय (प्रशिक्षण) जनधन योजना का समस्त कार्य।	श्रीमति रूपा शुक्ला परियोजना अधि.
7.	श्रीमती रूपा शर्मा शुक्ला परि.अधिकारी **(संविदा)**	पंच परमेश्वर का समस्त कार्य। सूचना का अधिकार, लोक कल्याण शिविर का आयोजन, महिला कल्याण प्रकोष्ठ, महिला सशक्तिकरण, अपदा प्रबंधन।	श्री जी.एस.तेकाम परियोजना अधिकारी
8.	श्रीमती कल्पना पांडे परि.अधिकारी **(संविदा)**	इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास होमस्टेट का कार्य। अंत्योदय आवास का समस्त कार्य।	डॉ परवीन कुरैशी परि.अधिकारी
9.	श्री आशीष ब्यौहार, जिला समन्वयक **(संविदा)**	निर्मल भारत अभियान अंतर्गत मर्यादा अभियान योजना कां पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन, समन्वय कार्य यथा जिला पंचायत अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण में आने वाले अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण आदि में समन्वय करर्ना {संबंधित ओआईसी के सहयोग से} तथा विभागीय अन्य योजनाओं में समन्वय करना ।	श्री भूपेन्द्र मेहरा परियोजना अधिकारी तकनीकी
10.	श्री भूपेन्द्र मेहरा परियोजना अधिकारी तकनीकी **(संविदा)**	निर्मल भारत अभियान अंतर्गत मर्यादा अभियान योजना का समस्त कार्य एवं तकनीकी कार्य । (अति.मु0का0पा0 अधि0 के माध्यम से}	श्री आशीष ब्यौहार, जिला समन्वयक
11.	श्री शैलेन्द्र अग्रवाल स0प0अ0 **(प्रतिनियुक्ति तिलहनसंघ)**	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 11, बीपीएल सर्वे, लोक सेवा गारंटी, न्याायालयीन प्रकरण, जनसुनवाई, एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी।	श्री एस.के.दीक्षित पं.रा.अधि.
12.	कु.सीमा पाठक, सहा.परि.अधि. **संविदा)**	मध्यान्ह भोजन का समस्त कार्य।	श्री शैलेन्द्र अग्रवाल
13.	श्रीमती वर्षा जाट सहा.परि.अधि.**(संविदा)**	मनरेगा संबंधी समस्त शिकायतों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण एवं मनरेगा प्रभारी अधिकारी को सहयोग ।	डॉ परवीन कुरैशी परि.अधिकारी
14.	सुश्री बवीता कोल परियोजना अर्थशास्त्री **(संविदा)**	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं शिकायत शाखा के कार्य (मनरेगा को छोड़कर)	श्री शैलेन्द्र अग्रवाल सपअ
15	श्री राजेन्द्र सिंह **(संविदा)** तकनीकी विशेषज्ञ, आरजीएम	वाटरशेड योजनाओं का समस्त कार्य विशेषतः समस्त आईडब्लूएमपी को तकनीकी मार्गदर्शन ।	श्रीमती रूपा शर्मा शुक्ला परि. अधिकारी
16	ऋषिराज चडार मीडिया अधिकारी मनरेगा **(संविदा)**	मीडिया अधिकारी के समस्त दायित्व । विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार नीति का क्रियान्वयन, प्रेस विजिट, सूचना, शिक्षा, संचार फोटो बैक की स्थापना, सफलता की कहानी का संकलन, प्रकाशन, वेबसाइड पर कम से कम दो कहानियों का प्रतिवेदन अपलोड करना।	श्रीमती वर्षा जाट सहा.परि.अधिकारी
17	श्री एस.के. दीक्षित जिला पंचायत राज अधिकारी	प्रभारी अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ।	श्री जी.एस.तेकाम
18	श्री राजेश ठाकुर	त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत	श्री के0 एल0

	सहायक अधीक्षक	की बैठक एवं जानकारी संकलित कर बैठक आयोजित कराना, कार्यवाही विवरण तैयार कराना, विधानसभा उत्तर समय–सीमा मे तैयारा कराना, सिटीजन चार्टर का समस्त कार्य, टीएल फोल्डर, समाधान ऑनलाईन, परख, अत्योदय मेला, स्पर्श अभियान, आवक–जावक शाखा का पर्यवेक्षण।	राडवे लेखापाल
19	श्री ए0के0 सीते तकनीकी सहायक **(प्रतिनियुक्ति सिंचाई विभाग)**	शासन के समय समय पर घोषित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव, की मानीटरिंग, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संबंधी कार्य, विभिन्न समीक्षा बैठको के फोल्डर तैयार करवाना एवं कार्यवाही विवरण जारी करना तथा विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यो की नस्तियों का तकनीकी परीक्षण तथा प्रस्तुतीकरण	श्री राजेन्द्र सिंह तकनीकी विशेषज्ञ, आरजीएम
20	श्री के0एल0राडवे लेखापाल	राजीव गांधी वाटरशेड मिशन के अंतर्गत संचालित वाटरशेड योजनाओं का समस्त कार्य । जलाभिषेक अभियान का समस्त कार्य । सूखाराहत, आओ बनाएं अपना मध्यप्रदेश। बैठकों की जानकारियों का सकलन कर फोल्डर तैयार करना । जिन समितियों में मु0का0अ0 जि0पं0 सचिव/अध्यक्ष/ संयोजक हों की जानकारी तैयार करना, सहायक अधीक्षक प्रभार ।	श्री अमलेन्दु सिंह
21	श्री अशोक वर्मा, सहा.ग्रे.2	वाटरशेड के पत्रों का प्रस्तुतीकरण।	श्री के.एल.राडवे
22	श्री सुनील आनंद सहा.ग्रे.2	भण्डार शाखा का समस्त कार्य । जिला पंचायत में आयोजित बैठकों की समस्त व्यवस्था, कार्यालयीन परिसर एवं कक्षों की साफ–सफाई आदि व्यवस्थाएं।	श्री ओ.पी.रजक
23	श्री ओ.पी.रजक	शिकायत शाखा का समस्त कार्य मनरेगा को छोड़कर।	श्री ए.पी.सिंह
24	श्री आर0के0विश्वकर्मा सहा0ग्रेड–2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित संपूर्ण कार्य।	1. श्रीमती गायत्री ज्योतिषी 2. श्री सुधीर लघाटे
25	श्री सुनील पाठक, सहा. ग्रे.2	स्थापना (डी0आर0डी0ए0/जि0पं0/एम0डी0एम0/टी0एस0सी0) का समस्त कार्य । आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण 2011, बी0पी0एल0 सर्वे का कार्य।	श्री विनीत पांडेय
26	श्री रामानुज द्विवेदी सहा.ग्रे.2	समस्त योजनाओं के मासिक प्रतिवेदनों को शासन एवं उच्च कार्यालयों को प्रतिवेदित करना, राज्य स्तर/संभाग स्तर/जिला स्तर पर आयोजित बैठकों हेतु विभिन्न विभागों/कक्षों की जानकारी प्राप्त कर फोल्डर तैयार कर प्रस्तुत करना, जिला स्तरीय सतर्कता मूल्यांकन समिति की बैठकों के आयोजन कार्य लोक कल्याण शिविर के आयोजन के संबंध में जिले का कार्यक्रम तैयार कर जारी करना, आयोजित शिविरों का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करना, सिटीजन चार्टर का समस्त कार्य एवं जय विविधता के समस्त कार्य । निर्माण कार्या के प्राप्त प्रतिवेदनो पर कार्यवाही करने बावत । मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, आम आदमी एवं जनश्री बीमा, योजना, सनिर्माण कर्मकार मंडल की योजना । महिला कल्याण प्रकोष्ठ का कार्य । नवीन योजनाओं एवं भारत सरकार, संस्थाओं से प्राप्त ऐसी योजना/विषय जो किसी को आवंटित नहीं है से संबंधित पत्राचार ।	श्री जी0एस0नामदेव
27	श्री सुनील आनंद सहा.ग्रे.2	स्टोर शाखा प्रभारी।	श्री ओ.पी.रजक
28	श्रीमती गायत्री ज्योतिषी, सहा.ग्रे.2	जिला पंचायत का लेखाकार्य (सहायक)	श्री राम कृपाल वर्मन
29	श्री हेमंत वर्मा, स.ग्रेड–2	अध्यक्ष के निज सहायक कार्य ।	

30	श्रीमती सुषमा राजपूत, सहा.ग्रे.2 (विकासशाखा)	स्थापना (विकासशाखा) का समस्त कार्य । मु0का0अ0,ज0पं0 /विकास विस्तार अधिकारी/ सहायक विकास विस्तार अधिकारी/ज0पं0 में पदस्थ उपयंत्रियों से संबंधित कार्य । अधिकारियों /कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश लेखों का संधारण ।	श्रीमती लीला यादव
31	श्रीमती लीला यादव सहा0ग्रेड–2 (विकासशाखा)	न्यायालयीन प्रकरण(विकास) जिसमें मु0का0अ0 प्रभारी अधिकारी हों जवाब प्रस्तुत करना, मानीटरिंग कार्य। विकासशाखा के कर्मचारियों के वेतन देयक तैयार कर प्रस्तुत करना, बजट कार्य। विकासशाखा का मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना । विभागीय जांच(विकास) ।	श्रीमती सुषमा राजपूत,
32	श्री अमलेन्दु सिंह प्रबंधक (डीएसएमए)	लेखा संबंधी कार्य– डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना का समस्त कार्य एवं सभी योजनाओं के द्वितीय किश्त के प्रस्ताव प्रेषण। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त आवंटन के आधार पर जिला पंचायत/विकासखण्डवार बजट अनुमान तैयार कर समय पर प्रेषण करने का कार्य । महालेखाकार कार्यालय में जिला/जनपद /स्थानीय संपरीक्षाा आडिट, लोक लेखा समिति की अपत्तियों का निराकरण । समस्त ग्रामीण आवास योजनाएं । विकेद्रीकृत जिला योजना तैयार किये जाने वाले पत्राचार एवं नस्तियों का संधारण। चिकित्सा प्रतिपूर्ति/यात्रा देयकों का प्रस्तुतीकरण । समस्त ग्रामीण आवास योजनाओं एवं आवास मिशन से संबंधित समस्त कार्य । निर्मिती केन्द्र के कार्य।	श्री के0एल0राडवे
33	श्री राकेश जैन, स्टेनो	मु0का0अधि0 के स्टेनो कार्य ।	श्रीडी0एल0कोष्टा
34	श्री डी0एल0कोष्टा स्टेनो (हाथकरघा)	मु0का0अ0 जि0पं0 के स्टेनो कार्य :– बैठकों की जानकारी रखना जिसमें मु.का.अ. को उपस्थित होना है, सामान्य सभा/सामान्य प्रशासन समिति की बैठक की कार्यवाही, जि.पं. के अधीन विभागों के अधि0 के अवकाश स्वीकृति कार्य, मु.का.अ.की बैठक की कार्यवाही । अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम, दौरा डायरी,, अधि0/कर्म0 के गोपनीय प्रतिवेदन का समस्त कार्य । समाधान एक दिवस व परख ।	श्री राकेश जैन
35	श्री जी.एस.नामदेव स.ग्रे.3 (आदिवासी विकास)	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य।	श्री रामानुज द्विवेदी
36	सुश्री रूचिता बाजपेई तक.सहा. **(संविदा)**	सूचना का अधिकार अंतर्गत अपील के प्रकरणों की नस्ती का संधारण करना, सूचना का अधिकार, पंच परमेश्वर योजना से संबंधित समस्त कार्य।	श्री गोविन्द श्रीवास्तव,लिपिक
37	श्री विशाल झारिया तक0सहा0**(संविदा)**	मुख्यमंत्री आवास मिशन का समस्त कार्य ।	श्री रावेन्द्र पांडेय
38	श्री रावेन्द्र पांडे, सहा.ग्रेड.3	इंदिरा आवास योजना, होम स्टेड एवं अन्य आवास योजना (मु0आ0मिशन को छोड़कर) एवं पंच–परमेश्वर का समस्त कार्य ।	श्री विशाल झारिया
39	श्री कृष्टि मेथ्यू सहा.ग्रेड.3	एस0जी0एस0वाय0 एवं एनआरएलएम योजना का समस्त कम्प्यूटर टाईपिंग कार्य तथा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।	श्री सुधीर लघाटे
40	श्री छोटेशाह स.ग्रे.3	जावक शाखा का समस्त कार्य ।	श्री रामगोपाल वर्मन
41	श्री रामगोपाल केवट सहा.ग्रेड.3	आवक शाखा का कार्य ।	श्री हेमंत वर्मा
42	श्री रामकृपाल वर्मन स.ग्रे.3	स्वच्छ भारत अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान, स्वजलधारा योजना (लेखा कार्य छोड़कर)। स्पर्श अन्त्योदय कार्य ।	श्री सरिता चौकसे
43	श्री गोविंद श्रीवास्तव, **सहायक ग्रेड–2**	पंचायत प्रकोष्ठ, स्थापना (पीसीओ/सचिव) निर्वाचन कार्य, न्यायालयीन प्रकरण, प्रकोष्ठ की योजनायें।	श्री प्रभाकर कपले

44	श्री रूपेश श्रीवास्तव **लिपिक(हस्तशिल्प)**	जिला पंचायत की न्यायालयीन शाखा।	श्रीमति लीला यादव
45	श्रीमती सुशीला रैकवार स.ग्रे.3 **(ग्रामो.विभाग)**	ग्रामोद्योग समिति शिक्षा समिति एवं विभागीय अमले का वेतन संबंधी कार्य । आवक–जावक शाखा में सहयोग (सहा0 अधी0 के अधीनस्थ)।	श्रीमती गायत्री ज्योतिषी
46	श्री प्रभाकर कपले **(तकनीकी सहा.)**	निर्माण शाखा का कार्य, यथा परफारमेंस ग्रांट, (13,14 वित्त आयोग) स्वकराधान, ई–पंचायत कार्य, स्टाम्प शुक्ल, आंगनबाड़ी एवं अन्य योजना से संबंधित निर्माण कार्य।	श्री ओ.पी.रजक
47	श्री विनीत पान्डेय, सहा0ग्रेड.3	एस.जी.एस.वाय. योजनांतर्गत हाट बाजार एवं एसजीएसवाय का समस्त कार्य । रोजगार मेलों के आयोजन /जनधन योजना का समस्त कार्य।	श्री आर0के0 विश्वकर्मा
48	श्री सुधीर लघाटे सहा0ग्रेड.3	लेखाकार्य जिला पंचायत/कोषालय।	श्री आलोक सिन्हा
49	श्री आलोक सिन्हा, स.ग्रे.3	मनरेगा की संपूर्ण शिकायत,सांसद आदर्श ग्रम SSSM मनरेगा शाखा के मासिक प्रतिवेदनों को शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्रतिवेदित करना। राज्य संभाग एवं जिले स्तर पर आयोजित बैठको हेतु विभिन्न विभागों/कक्षों की जानकारी प्राप्त कर फोल्डर तैयार कर प्रस्तुत करना।	श्री अनिल बुद्धोलिया
50	श्री हेमराज राणा आडीटर (एनआरईजीएस)	मनरेगा का सोसल आडिट, सी.ए.आडिट, महालेखाकार आडिट एवं मनरेगा विधानसभा, लोकसभा प्रश्नों का संकलन प्रेषण कार्य, कार्यो के तकनीकी प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण,प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना। मनरेगा अंतर्गत संचालित उपयोजना–कपिलधारा,ग्रमीण क्रीडांगन योजना, भूमि शिल्प, शांतिधाम, निर्मलनीर आदि समस्त उपयोजना एवं समस्त अभिशरण की योजना।	श्री ताराचंद लोमेश
51	श्री ताराचंद लोमेश, आडीटर **(एनआरईजीएस)**	एनआरईजीएस के आडिट कार्य। मनरेगा उपयोजना ग्राम सफाई सड़क येाजना, मेरा खेत मेरी माटी, नदी पुनर्जीवन।	श्री हेमराज राणा
52	श्री अनिल बुधौलिया उद्यान सहायक **(संविदा) (एनआरईजीए)**	हरित चुनरी, हरियाली(एनआरईजीएस) वृक्षारोपण, नन्दन फलोद्यान, नर्मदा समग्र प्रकल्प। मनरेगा स्थापना शाखा।	श्री आलोक सिन्हा
53	श्री अमित द्विवेदी लेखापाल **(संविदा)** एनआरईजीएस	एन.आर.ई.जी.एस. योजना में लेखा संबंधी संपूर्ण कार्य । मनरेगा के स्टाफ का डायरी संधारण, सीए आडिट, आंतरिक लेखा परीक्षण । एनआरईजीएस के एमआईएस संबंधी नस्तियों का संधारण, (नस्तियां एनआरईजीएस लेखाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत होगी)।	श्री हेमराज राणा
54	श्री राजेश जंघेला डाटा एंट्री आपरेटर **(संविदा)** एनआरईजीएस	मनरेगा(स्थापना) एवं मनरेगा के जिला स्तरीय कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृतियां, मुख्यालय से पत्राचार प्रगति प्रतिवेदन एवं एमआईएस एवं ऑन लाईन कार्य। पंच परमेश्वर का कार्य। समस्त मेल का प्रस्तुतीकरण कलेक्टर महोदय का फोल्डर (चतुर्थ संभाग) (प्रतिदिन दो बार)कलेक्टर महोदय की बैठक का फोल्डर (चतुर्थ सोमवार)।	श्री संतोष नामदेव
55	श्री संतोष नामदेव डाटा एंट्री आप0 **(संविदा)**	मनरेगा (लेखा) का संपूर्ण कार्य, आडिट का संपूर्ण कार्य, समेकित माईक्रो प्रोजेक्ट नदी पुर्नजीवन नन्दन फलोद्यान, वृक्षारोपण का कार्य सोसल आडिट कार्य एवं एमआईएस एवं ऑन लाईन कार्य।	श्री राजेश जंघेला
56	श्रीमती सरिता चौकसे लेखापाल**(संविदा)** टीएससी	टी.एस.सी. शाखा के अभिलेखों का संधारण एवं लेखा संबंधी समस्त कार्य, प्राप्त निर्देशों एवं सूचनाओं/पत्रों को प्रस्तुत करना एवं शाखा संबधी समस्त कार्य एवं लोक कल्याण शिविरों के आयोजन का कार्य।	श्री रामकृपाल वर्मन

57	श्री राहुल गुप्ता, कम्प्यूटर आपरेटर, **(संविदा)** टीएससी	टी0एस0सी0 स्वजलधारा एवं सूचना का अधिकार/लोक कल्याण शिविर के अंतर्गत एवं जय विविधता के समस्त कम्प्यूटर कार्य ग्रामीण आवास मिशन का कार्य । एमआईएस एवं ऑन लाईन कार्य। समस्त मेल का प्रस्तुतीकरण (प्रतिदिन 2 बार)।	श्री राजपूत
58	श्री आशीष त्रिवेदी कम्प्यूटर आपरेट (संविदा) आरजीएम	वाटरशेड का समस्त कम्प्यूटर कार्य एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। । एमआईएस एवं ऑन लाईन कार्य। कलेक्टर महोदय की बैठक का फोल्डर (दिन सोमवार) समस्त मेल का प्रस्तुतीकरण मनरेगा छोड़कर (आवास एमडीएम प्रशासन)	श्री राहुल गुप्ता
59	श्री सुरेन्द्र राजपूत कंम्प्यूटर आपरेटर **(संविदा)** एमडीएम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं स्थापना विकासशाखा/न्यायालयीन शाखा के समस्त कम्प्यूटर कार्य। एमआईएस एवं ऑन लाईन कार्य।	श्री आशीष त्रिवेदी
60	पूजा श्रीवास्तव कंम्प्यूटर आपरेटर (संविदा) डीआरडीए	कम्प्यूटर कार्य यथा– इंदिरा आवास योजना। जि0पं0/डीआरडीए स्थापना कार्य। योजनाओं की मासिक बैठकों की जानकारी आदि का कार्य प्रशिक्षण/विधानसभा का कार्य। मॉनीटरिंग शाखा के कार्य, आवास योजनाओं का ऑन लाईन कार्य। आवास शाखा का मेल प्रतिदिन दो बार।	श्री आशीष त्रिवेदी
61	श्रीमती संध्या ताम्रकार टास्क मैनेजर **(संविदा)**	मध्यान्ह भोजन शाखा का समस्त कार्य	श्रीमती रूपल तिवारी
62	श्रीमती रूपल तिवारी टास्क मैनेजर **(संविदा)**	मध्यान्ह भोजन शाखा का समस्त कार्य	श्रीमती संध्या ताम्रकार
63	श्रीमती गीता चौहान क्वालिटी मानीटर **(संविदा)**	मध्यान्ह भोजन शाखा का समस्त कार्य	श्री राकेश श्रीवास्तव
64	श्री राकेश श्रीवास्तव क्वालिटी मानीटी	मध्यान्ह भोजन शाखा का समस्त कार्य	श्रीमती गीता चौहान

निर्णय लेने की प्रक्रिया में लागू होने वाली प्रणाली, निरीक्षण तथा जवाबदेहिता की प्रणाली

- कार्यों के विभाजन के अनुसार विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों(स्वरोजगार शाखा, निगरानी शाखा, लेखाशाखा, रोजगार शाखा, वाटरशेड, लेखा शाखा) द्वारा शासन से समय समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण अधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते है । मु.का.अ. द्वारा जनहित एवं विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया जाता है ।
- जिला पंचायत म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है । जिला पंचायत के नीतिगत निर्णय हेतु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए सदस्यों की एक समिति होती है जो सामान्य सभा में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यों के नीतिगत फैसले लेती है । जिले के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतो/जनपद पंचायतों की गतिविधियां भी सम्मिलित है ।
- सामान्य सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों को गतिविधियों का संचालन कार्य आवंटित किया जाता है जिसमें ग्राम पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों की प्रमुख भूमिका होती है ।
- जिला पंचायत द्वारा गतिविधियों के संचालन की नियमित निगरानी की जाती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भी कार्यों की संख्या का 10 प्रतिशत निरीक्षण स्वयं किया जाता है यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितताये पाई जाती है तो उनके द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही की जाती है ।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हे सौंपी गई योजनाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन समय समय पर नियमित रूप से किया जाता है एवं निरीक्षण की जानकारी मु.का.अ.को दी जाती है ।

मानदण्डों का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये

- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के पृथक पृथक दिशा निर्देश तय किये गये है इन्ही दिशा निर्देशों का पालन कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है (संबंधित शाखा में उपलब्ध है)
- कृत्यों का पालन दिशा निर्देशों में दी गई समय सीमा में किया जाता है ।
- दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नही इसका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है ।

नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियंत्रण में या उसके कर्मचारियो द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये ।

- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।
- पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का पालन किया जाता है ।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालन हेतु जानकारी प्रशिक्षण के द्वारा दी जाती है ।

दस्तावेज प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो ।

- योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड पृथक पृथक शाखा प्रभारी स्तर पर/शाखा स्तर पर रखा जाता है।
- अभिलेखों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाता है ।

लोक सदस्यो से नीतियोके विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण

- जिला पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यों के लिये परामर्श एवं सुचारू संचालन हेतु सात समितियां गठित की गई है ।

1. सामान्य प्रशासन समिति	श्री भारत सिंह यादव, अध्यक्ष
2. कृषि समिति	श्री छोटेराव साहब
3. शिक्षा समिति	श्री खिलाड़ी सिंह आर्मो, सभापति
4. संचार एवं संकर्म समिति	श्री दिनेश चौरसिया सभापति
5. सहकारिता एवं उद्योग समिति	श्रीमती प्रभा सोनी
6. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति	श्रीमती सुनीता दाहिया
7. वन समिति	श्रीमती रत्नेश पटेल

- प्रत्येक समिति का एक सभापति होता है एवं चार कार्यकारी सदस्य होते है ।

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आम जनता से परामर्श एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से समय निर्धारित किया गया है ।

- इसके अतिरिक्त बैंक अधिकारी, विभागों के प्रमुख, गैर सरकारी संगठन, मान. जनप्रतिनिधियों(जिले के) का भी परामर्श समय समय पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नीतिगत, प्रशासनिक कार्योंके लिय जिला कलेक्टर का परामर्श लिया जाता है।

8. उन बोर्डों परिषदों, कमेटियों तथा निकायों जिनमे दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आश्य के लिये रखे गये है, का विवरण एवं इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों परिषदों, कमेटियो तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले है ।

- जिला पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए 17 सदस्यों की एक समिति होती है इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है । इसके अतिरिक्त इस समिति में जिले के समस्त सांसद, विधायक, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं ।

क्रं.	नाम	पद
1	श्री भारतसिंह यादव	अध्यक्ष
2	श्री खिलाड़ी सिंह आर्मो	उपाध्यक्ष
3	श्रीमती निर्मला मरावी	सदस्य
4	श्रीमती मीरा गोंटिया	सदस्य
5	श्रीमती तविन्दर गुजराल	सदस्य

6	श्री राजेश पटेल	सदस्य
7	श्रीमती विमलेश सैनी	सदस्य
8	श्रीमती जमना मरावी	सदस्य
9	श्री छोटेराव साहब	सदस्य
10	श्रीमती सुनीता दाहिया	सदस्य
11	श्री राजकुमार दाहिया	सदस्य
12	श्रीमती रत्नेश	सदस्य
13	श्रीमती विद्या सिंह	सदस्य
14	श्रीमती प्रभा सोनी	सदस्य
15	श्रीमती माया रामकृष्ण पटेल	सदस्य
16	श्री दिनेश चौरसिया	सदस्य
17	श्री बद्रीसिंह	सदस्य

- जिला पंचायत के सुचारू संचालन हेतु इनसे नियमित परामर्श एवं कार्यों का अनुमोदन लिया जाता है ।
- सम्मेलनों के ब्यौरे आम जनता के लिये पहुंच योग्य है ।

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों/नियोजन की निर्देशिका

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका शासन द्वारा निर्धारित की गई है अतः सेवा शर्त नियमों का पालन किया जाता है ।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

10. मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है उसके विनियमों मे उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति शासन द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों/मानदण्डो के अनुरूप भुगतान किया जाता है ।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

11. अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी इत्यादि

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

फाइल प्रक्रिया

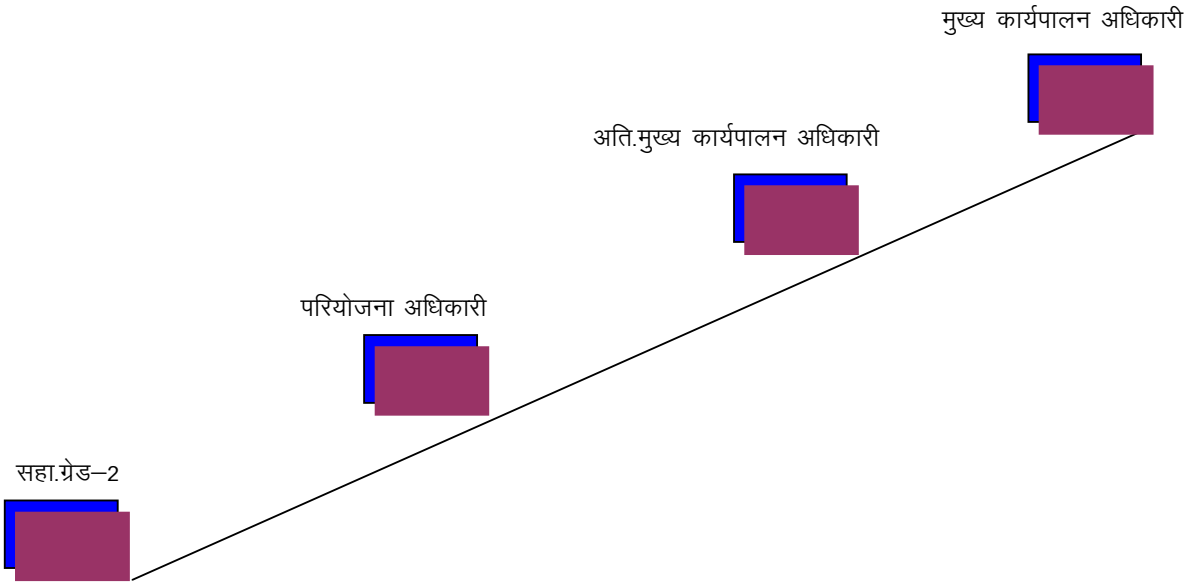

राशि स्वीकृति हेतु

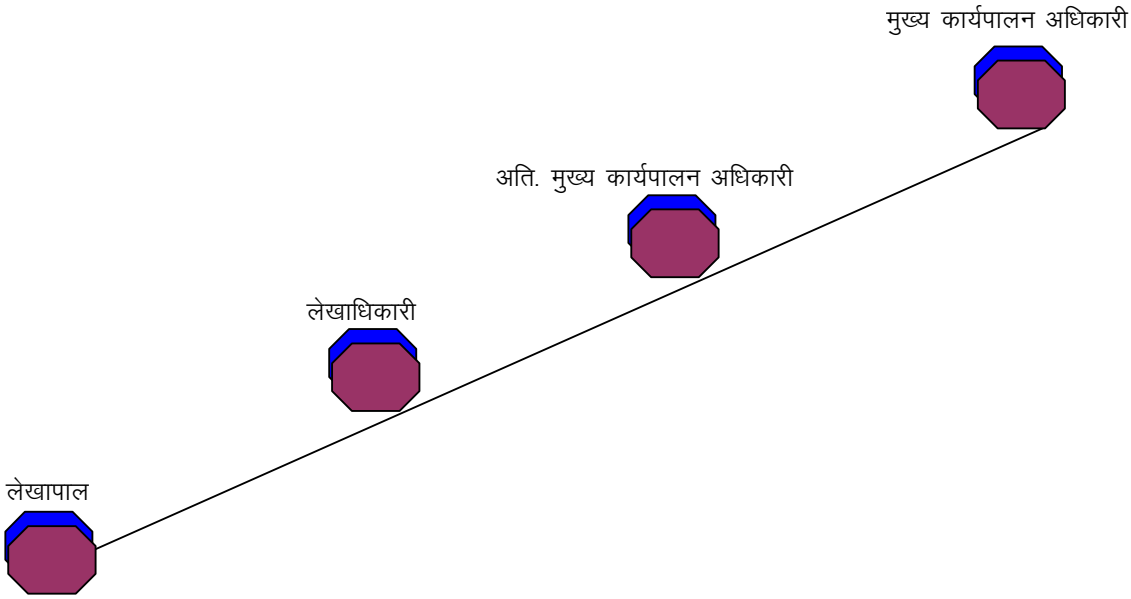

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- मिशन का उद्देश्य निर्धनों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिये स्वसहायता समूहों के रूप में गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी आधारित संरचना निर्माण, विपणन के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्यक्रम है ।
- मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूह गठित कर छोटे छोटे उद्यम लगाने हेतु परियोजनाये तैयार की जाती है इसके अंतर्गत उन्हे चक्रिय निधि, ऋण एवं ब्याज अनुदान दिया जाना प्रावधानित है ।
- वित्तीय प्रबंधन में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाती है ।

वित्तीय प्रतिवेदन(2014–15)

01.04.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
0.88	71.05	–	71.936	–	71.936	15.50	56.436

मिशन के अंतर्गत जिले में कुल सक्रिय समूह 11873 है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 419 स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज कर आजीविका से जोडा गया है।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

इंदिरा आवास योजना(नवीन)/मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना(अपना घर)
निर्माण के लक्ष्य की स्वीकृति हेतु

फाइल प्रक्रिया

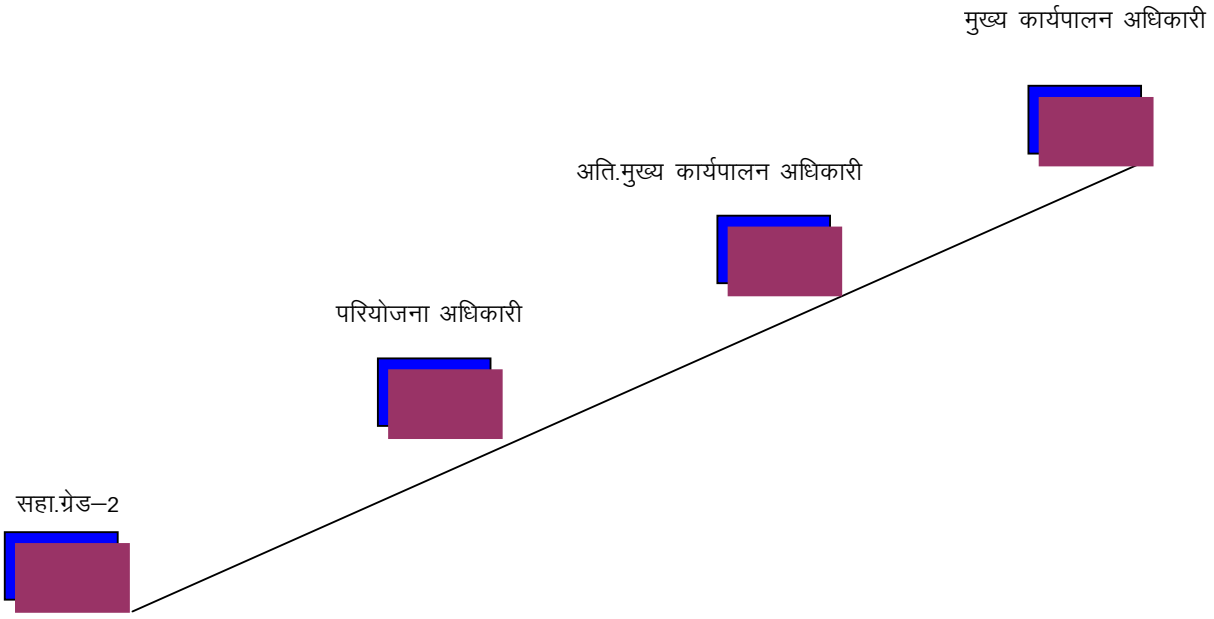

राशि स्वीकृति हेतु

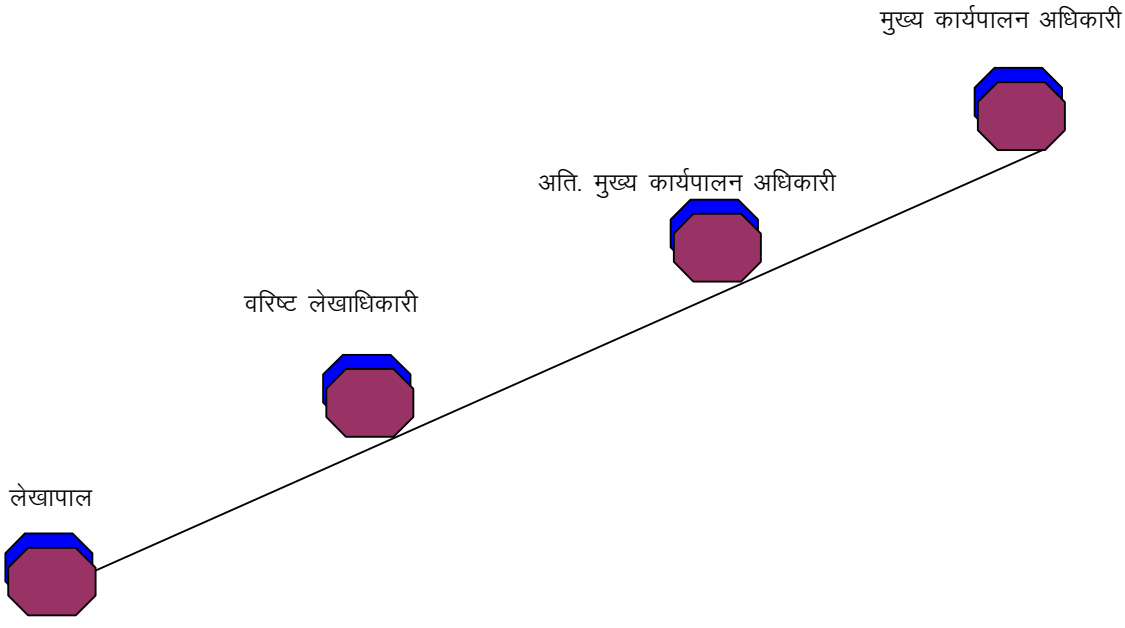

इंदिरा आवास योजना

- योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है ।
- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।
- योजनांतर्गत राशि रू. 70000 प्रति हितग्राही के मान से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है ।
- योजनांतर्गत 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है साथ ही 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को सामान्य वर्ग में से इंदिरा आवास देने का प्रावधान है ।
- निर्धारित लक्ष्य में से 3 प्रतिशत निःशक्तजनों को आवास के लिये लाभान्वित करने का प्रावधान है ।
- योजना में प्राथिमकता महिला को तथा विकल्प के तौर पर संयुक्त पति पत्नि के नाम आवास के साथ शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है ।
- वर्ष 2014–15 में 2363 का लक्ष्य प्राप्त। वित्तीय वर्ष में राशि राज्य कार्यालय से सीधे हितग्राहियों के खाते में जारी की जा रही है। तदानुसार लक्ष्य के लिये 2363 हितग्राहियों की सूची स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य कार्यालय को भेजा गया है।

वित्तीय प्रतिवेदन(2014–15)

1.4.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
78.648	-	-	78.648	-	78.648	78.648	100

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना

- योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले आवासहीन परिवारों को ही लाभान्वित किया जाता है ।
- मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत आवंटन बजट का संपूर्ण आवंटन राज्य शासन से प्राप्त होता है । वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य कार्यालय से सीधे हितग्राहियों के खाते में राशि 70000 जारी की जाना है।
- योजनांतर्गत नवीन आवास के लिये रू.70000 की राशि प्रति हितग्राही के मान से उपलब्ध कराई जाती है ।
- वित्तीय वर्ष में 2014–15 में 132 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध हितग्राहियों की सूची स्वीकृति उपरांत राज्य कार्यालय को भेजा गया है।

वित्तीय प्रतिवेदन(2014–15)

1.4.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
45.362	-	-	45.362	-	45.362	23.625	52

इंदिरा आवास योजना–3 प्रतिशत निर्माण के लक्ष्य की स्वीकृति हेतु

फाइल प्रक्रिया

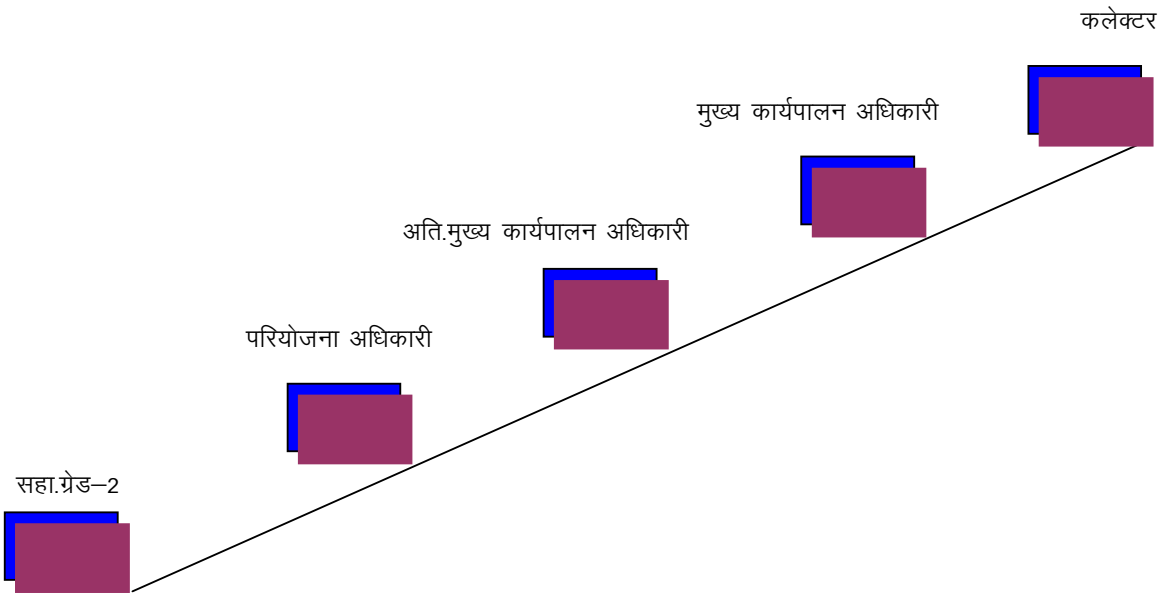

राशि स्वीकृति हेतु

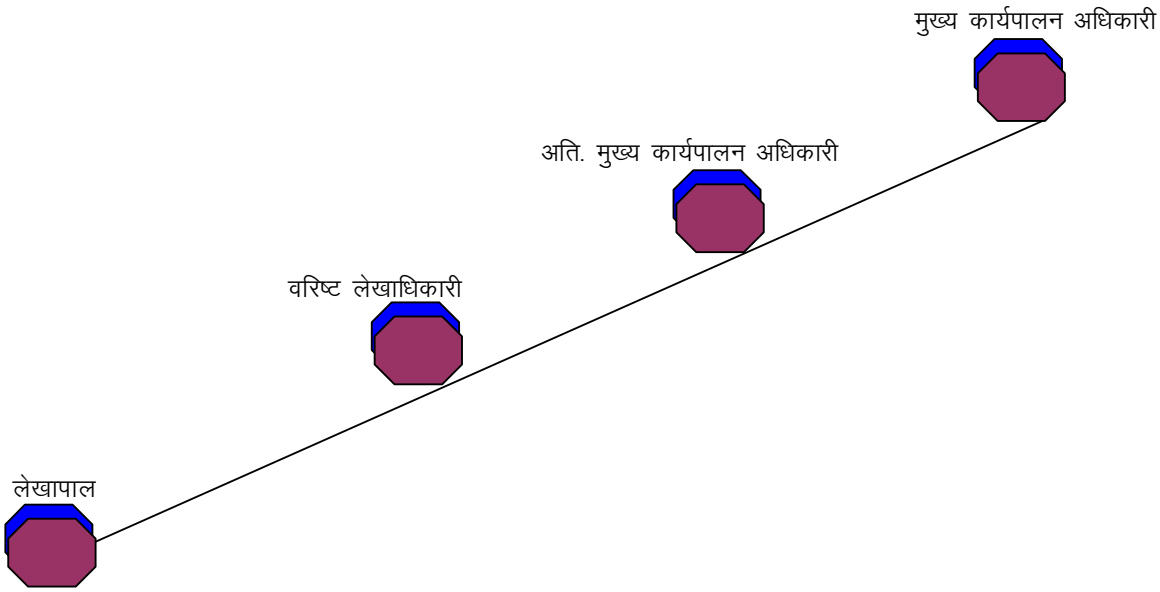

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

फाइल प्रक्रिया

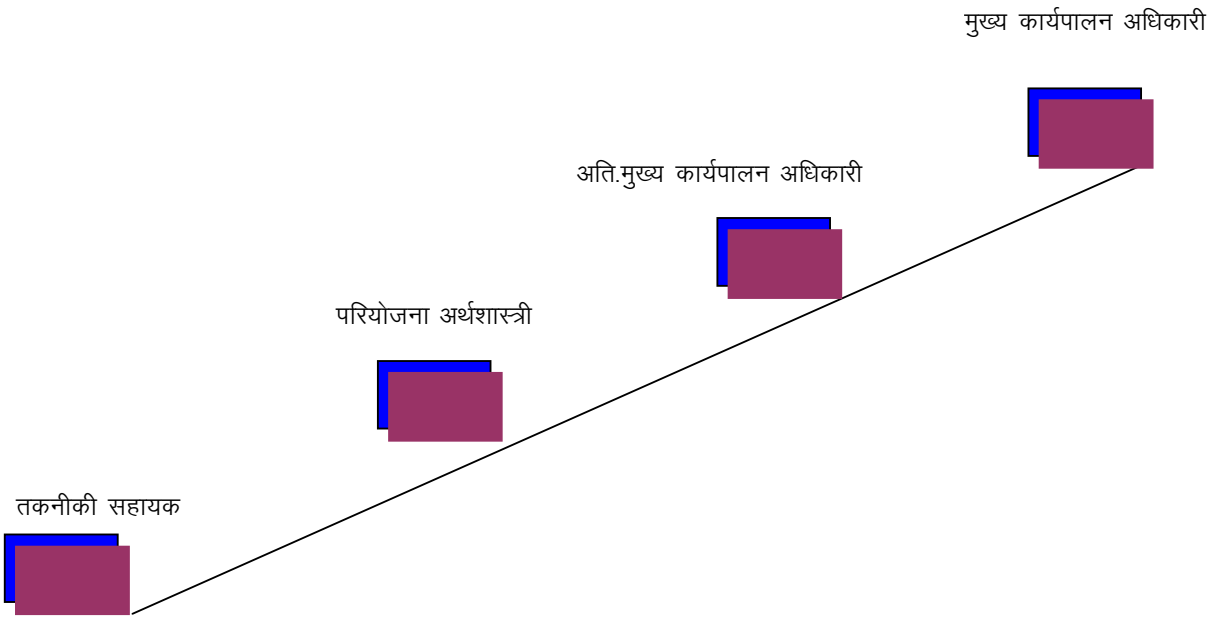

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना म.प्र. एक पूर्णतः मांग आधारित स्वभागीदार ऋण सह–अनुदान योजना है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाएगा, हितग्राही की पात्रतानुसार पुनभुर्गतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा पन्द्रह वर्षीय ऋण प्रदान योजना है।

आवासीय इकाई लागत–

1. आवास की न्यूनतम लागत 1,20,000.00 मात्र होगी।
2. हितग्राही का योगदान 20,000.00 रूपये न्यूनतम्।
3. बैंक का अनुदान 50,000.00 रूपये ।
4. भाासन का अनुदान 50,000.00 रूपये ।

हितग्राही आवश्यकतानुसार स्वयं की राशि बढाकर एवं अधिक बैंक के ऋण लेकर भी आवास निर्माण कर सकता है।

लागत– (शौचालय निर्माण हेतु)

प्रस्तावित लागत में न्यूनतम 225 वर्गफीट आवास के साथ शौचालय निर्माण बी.पी.एल. हितग्राहियों को टी.एस.सी. 4600.00 रूपये मनरेगा निर्मल वाटिका के अंतर्गत लागत रूपये 5400.00 स्वीकृत किये जा सकते है।

पात्रता–

1. आवासहीन कच्चे/अर्धपक्के आवास में रहने वाले ग्रामीण इस योजना के पात्र होंगे।
2. पात्र हितग्राही जो अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार है। अथवा जिनकी सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक है।
3. हितग्राही जिनके पास आवास निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध है। अथवा जो शासन के आवास हेतु भूमि की पात्रता रखते है।
4. वयस्क परिवार जिसका स्वयं का कोई आवास सामान्यतः निवासरत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं। आवास निर्माण के लिये हितग्राही के पास भूमि/प्लाट होना आवश्यक है।
5. कच्चा/अर्धपक्का आवास के स्थान पर योजनांतर्गत आवास निर्माण हितग्राही कर सकेगा। परन्तु आव यक है कि 225 वर्गफीट में निर्माण किया जाये।
6. हितग्राही अपनी स्वामित्व की खाते की भूमि पर भी इन आवासों को बनाने के लिये पात्र होगे।

वित्तीय प्रतिवेदन(2013–14) (मार्च 2014 की स्थिति में)

जिले को प्राप्त लक्ष्य	बैंक को प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	वितरण
4177	7903	4401	3771

महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी–स्कीम

फाइल प्रक्रिया

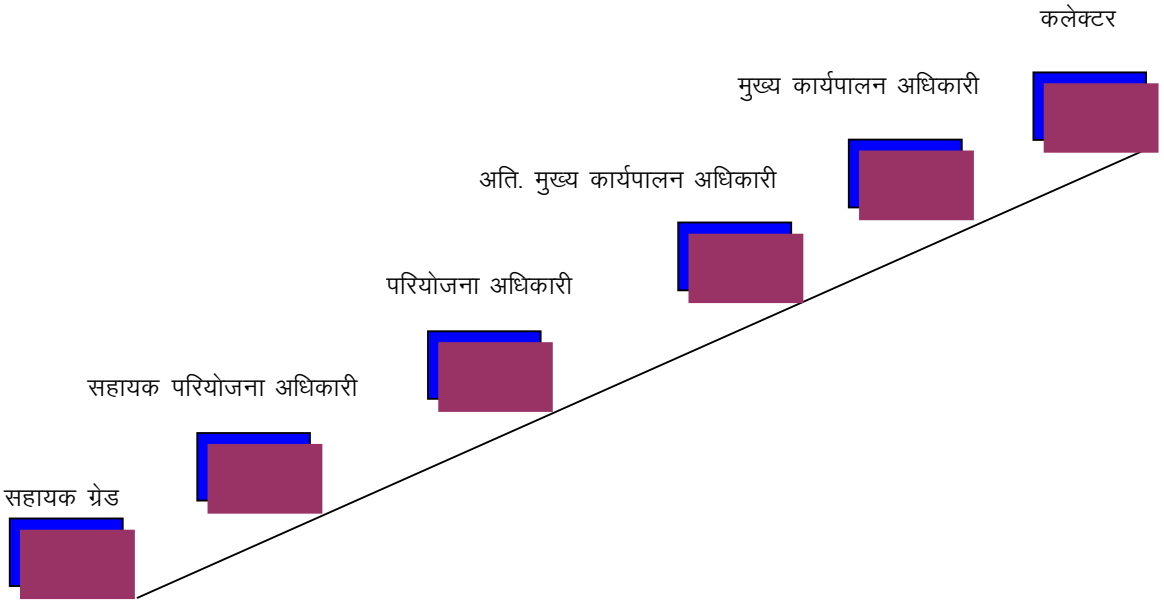

राशि स्वीकृति हेतु

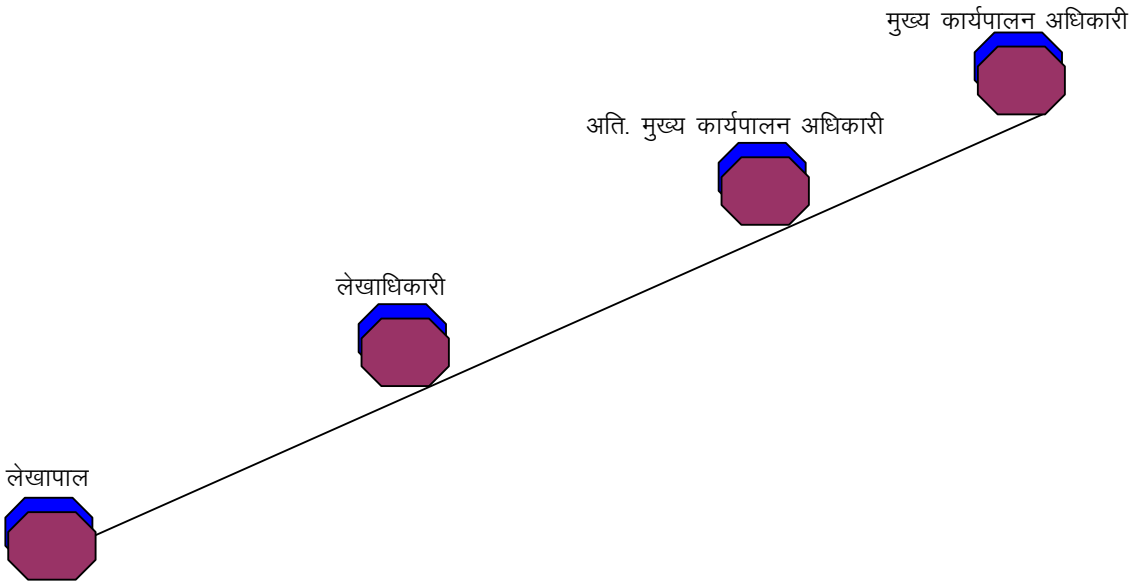

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम–म.प्र.

- ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी.) जिले में 01.04.2008 से लागू की गई है योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करना है।''

- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन । काम के इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकते है। पंजीकरण 5 वर्ष तक वैध पंजीकृत परिवारों को रोजगार प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेंज जॉब कार्ड।

- पंजीयत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होगा। रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिये वैध एवं प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति के बाद एक माह के अंदर ग्राम पचांयत द्वारा नवीनीकृत। जॉबकार्ड प्राप्त न होने पर अथवा प्रविष्टि पर आपत्ति होने परसरपंच ग्राम पंचायत को आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण की व्यवस्था।

- महिलाओं एवं निः शक्तजनों को प्राथमिकता योजनांतर्गत कुल आवेदनों में से कम से कम 1 तिहाई महिलाएं लाभांवित करने का प्रावधान। रोजगार की उपलब्धता – प्रथम आओ प्रथम पाओ – के सिंद्धांत पर आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पचांयतों द्वारा रोजगार दिया जायेगा। रोजगार निवास स्थान के 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान। यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नही मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

- यदि वह व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नही होता है तो बेरोजगारी भत्ते का आगे हकदार नही होगा। राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के कृषि श्रमिको के लिए अधिसूचित मजदूरी पाने का हकदार । *वर्तमान में मजदूरी राशि रू 157 प्रति श्रमिक प्रति दिवस के मान से मजदूरी भुगतान के समय जॉबकार्ड होना अत्यंत आवश्यक* / भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में।

- यदि आवेदक को निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो न्यूनतम मजदूरी सहित 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी। आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, छः वर्ष से अधिक आयु के 5 अधिक बच्चो

झूलाघर की व्यवस्था की जायेगी। कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता की दशा में अधिकतम रू 25000 तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है।

योजनांतर्गत निम्न लिखित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगाः–

1. जल संवर्धन एवं संरक्षण
2. सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधरोपण सहित)
3. सिंचाई, नहर (माईक्रो एवं लघु सिचाई कार्यो सहित)
4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राहियों अथवा अजा/अजजा अथवा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पंरपरागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुररुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
6. भूमि विकास के कार्य
7. बाढ नियंत्रण एंवं जल निकासी संबंधी कार्य
8. बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग (उपयोजनांतर्गत)

कार्यक्रम ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी तथा मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनी की पूर्ण रूपेण मनाही रहेगी। हितग्राही मूलक कार्यो हेतु उपयोजना कपिलधारा, भूमिशिल्प, नंदन फलोद्यान, वान्या, रेशम, मीनाक्षी, निर्मल नीर, निर्मल वाटिका, शैलपर्ण, सहस्त्रधारा, कामधेनु, क्रीडांकन, शांतिधाम आदि उपयोजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों का लाभांवित करना इत्यादि ।

वित्तीय प्रतिवेदन

1.4.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
295.49	2610.00	290.00	3195.49	10.06	3205.55	3024.49	94

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

फाइल प्रक्रिया

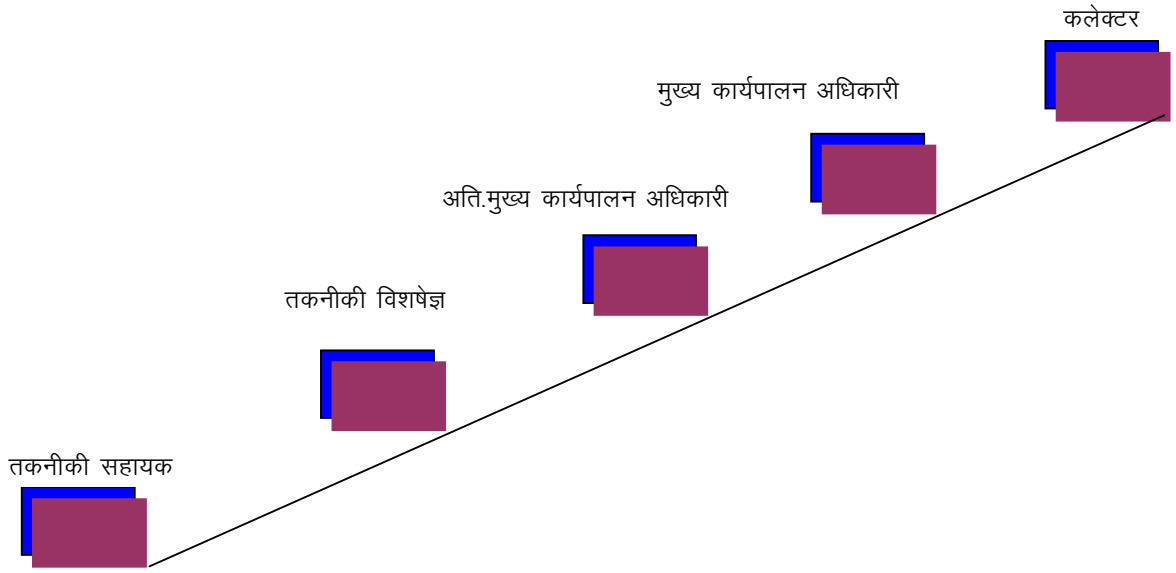

राशि स्वीकृति हेतु

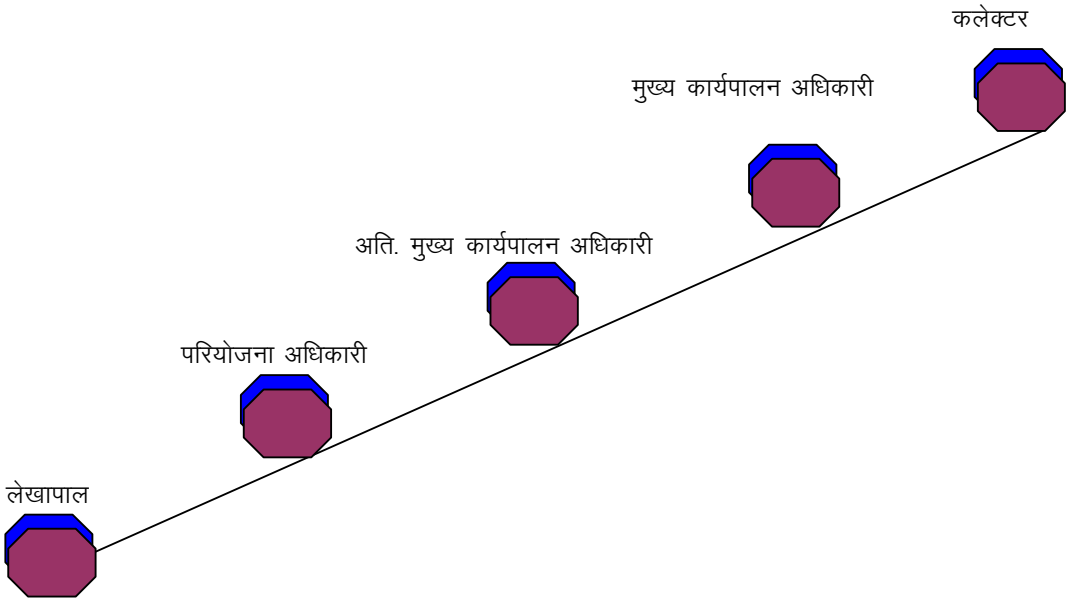

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अंतर्गत जबलपुर जिले में वर्ष 2009–10 में 04 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसका स्वीकृत क्षेत्रफल 25725 हेक्टेयर एवं स्वीकृत लागत 30.87 करोड़ है, जो जबलपुर जिले के कुण्डम विकासखण्ड में 02 परियोजनाएँ एवं जबलपुर विकासखण्ड (बरगी क्षेत्र) में 02 परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर ली गई है, आस्थामूलक कार्यो (46 कार्य) के रूप में लिए गए कार्य शाला वाउड्रीवॉल, सी.सी.रोड़, तालाब घाट निर्माण इत्यादि कार्य अभी तक पूर्ण कर लिए गए है। समस्त परियोजना में रिजलाइन के कार्य– स्ट्रगर्ड ट्रेंच, गली प्लगिग, वोल्डर बंधान, सी.सी.टी., सी.पी.टी. गेबियन संरचनाएँ के कार्य संपादित किए गए है। इसी प्रकार से जल संरक्षण के लिए चेकडेम, स्टॉपडेम, खेततालाब इत्यादि कार्यो को भी पूर्ण किया गया है तथा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हुए कार्यो को भी पूर्ण किया जा रहा है।

शासन से प्राप्त राशि 9.8784 करोड़ प्राप्त हुए है जिसमें से राशि रू. 9.05968 करोड़ व्यय किया जा चुका है शेष राशि 0.81872 करोड़ का व्यय परियोजना के कार्यो में किया जा रहा है।

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अंतर्गत जबलपुर जिले में वर्ष 2011–12 में 04 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसका स्वीकृत क्षेत्रफल 25732 हेक्टेयर एवं स्वीकृत लागत 30.8784 करोड़ है जो जबलपुर जिले के कुण्डम विकासखण्ड में 02 परियोजनाएँ एवं जबलपुर विकासखण्ड (बरगी क्षेत्र) में 02 परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार की गई है जिसमें हाउस होल्ड सर्वे, नेटप्लानिंग, एलएफए, तथा प्राथमिक एवं द्वितीय डाटा का संकलन किया गया है। उक्त परियोजनाओं में 46 आस्थामूलक कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति लेकर कार्य पूर्ण किया गया है तथा परियोजना स्तर पर समस्त आस्थामूलक कार्य संपादित किये गये है।

शासन से प्राप्त राशि 165.837 लाख प्राप्त हुए है, जिसमें से राशि रू. 125.30 लाख परियोजना को जारी की जा चुकी है जिसमें से राशि 120.50 लाख व्यय किया जा चुका है।

योजना	1.4.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
IWMP	85.617	379.80	42.20	422.00	5.30	512.917	200.736	40

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

फाइल प्रक्रिया

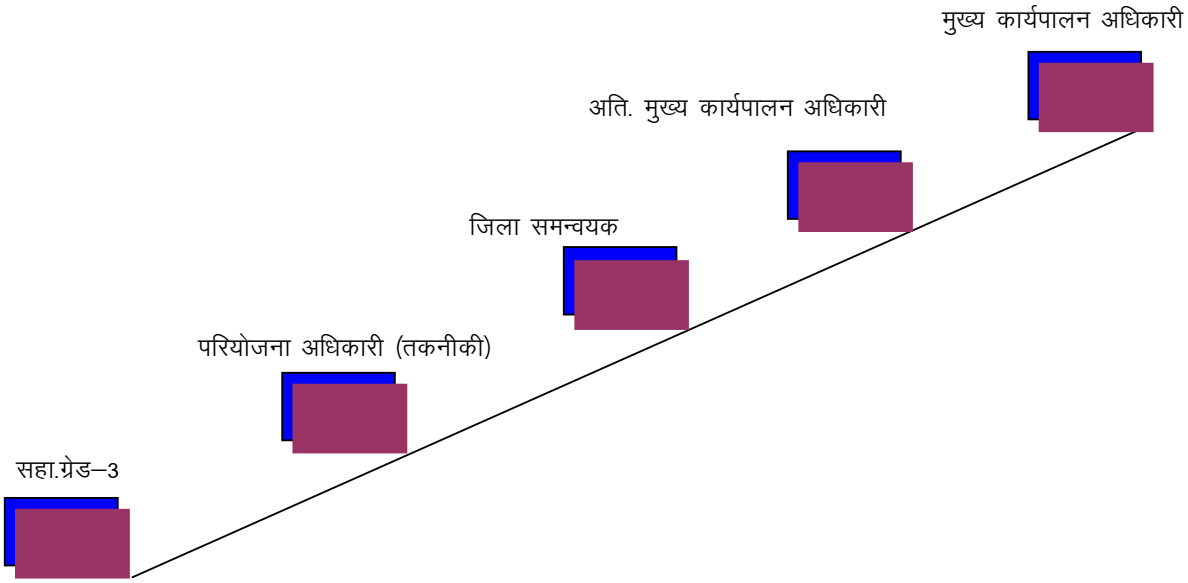

राशि स्वीकृति हेतु

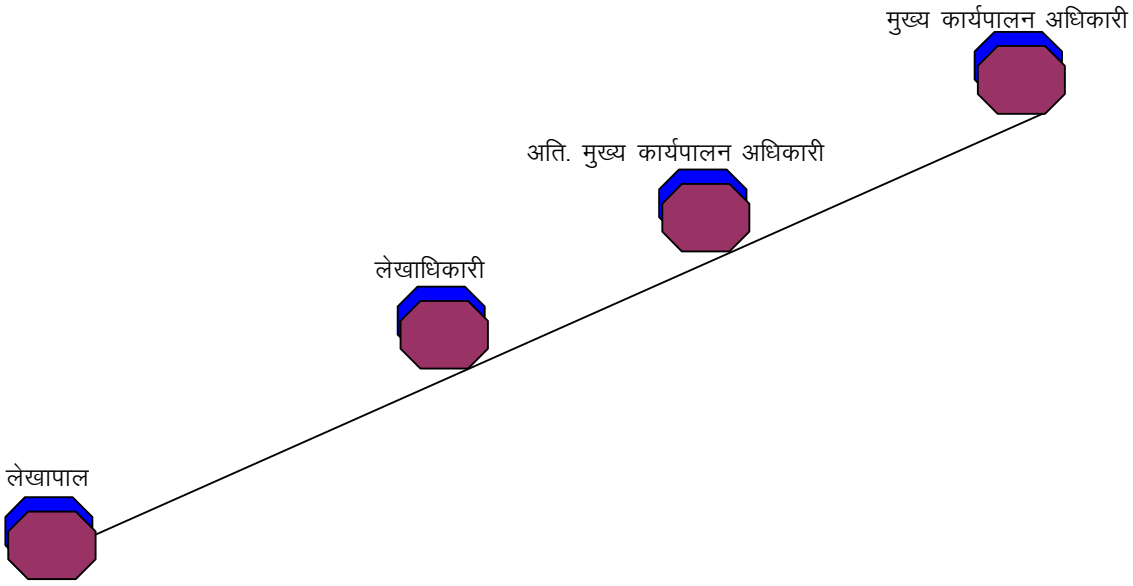

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :

भारत सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान को नवीन कार्यक्रम **"स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)"** के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का **शुभारंभ दिनांक 02 अक्टूबर 2014** को किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश एवं घटकवार प्रावधान है :–

1. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में प्रावधानित राशि रूपये 10000/– को रू. 12000/– किया गया है। इस राशि से व्यक्तिगत शौचालय के साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पानी की टंकी एवं हाथ धुलाई वाश वेसिन की इकाई भी लगाना अनिवार्य है।
2. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में पूर्व में प्रचलित मनरेगा से सहयोजन समाप्त कर दिया गया है। शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि रू. 12000/– स्वच्छ भारत मिशन से ही देय होगी।
3. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की राशि के लिये रू. 9000/– (75 प्रतिशत) केन्द्रीय मद से तथा राशि रू. 3000/– (25 प्रतिशत) राज्य के मद से प्रदाय किया जायेगा।

क्रं.	घटक	वर्ष 2014–15 की भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			वर्ष 2014–15 की वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि		
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	बी.पी.एल. शौचालय	5736	4237	74.00	263.86	194.90	74.00
2	ए.पी.एल. शौचालय	3824	3260	85.00	175.90	149.96	85.00
3	स्कूल शौचालय	0	0	0	0	0	0
4	आंगनबाड़ी शौचालय	0	0	0	0	0	0
5	स्वच्छता परिसर	0	0	0	0	0	0

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

फाइल प्रक्रिया

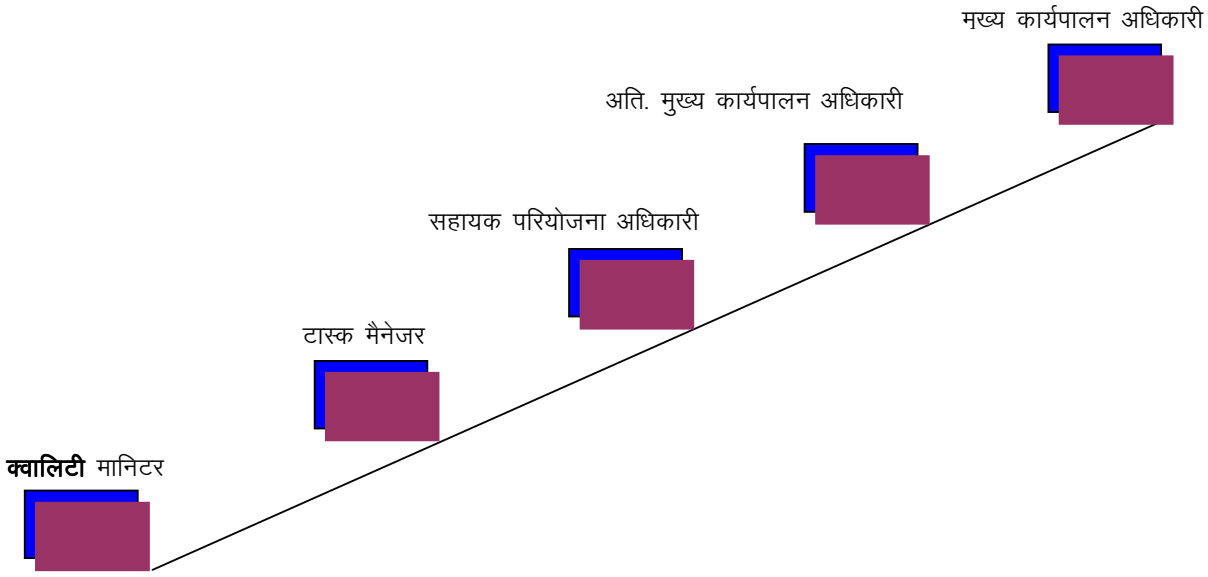

राशि स्वीकृति हेतु

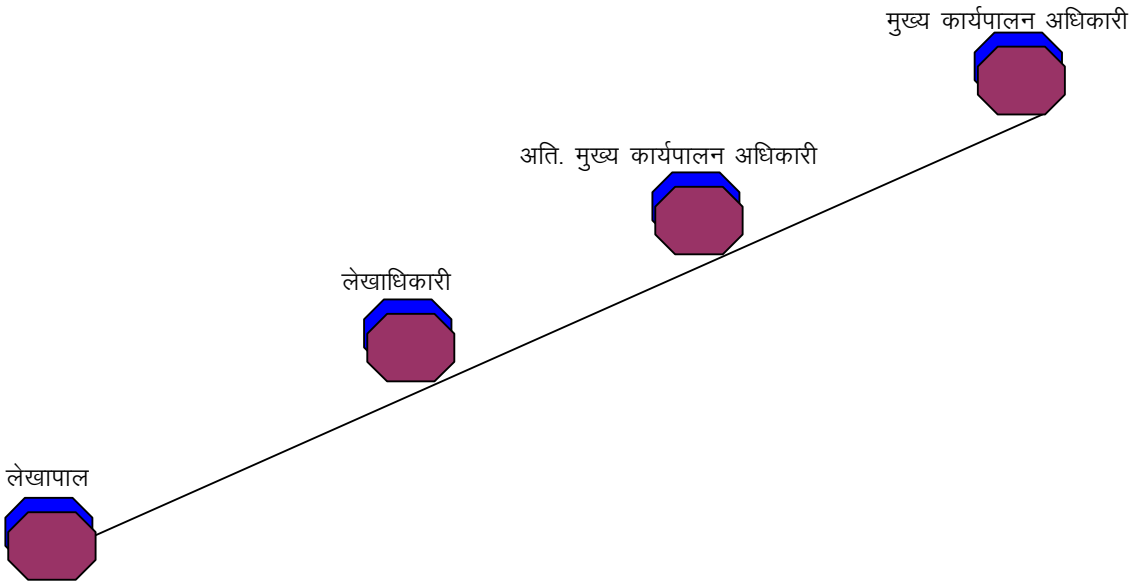

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- यह केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या मे वृद्धि हेतु लागू की गई है । इसके अंतर्गत समस्त विकासखंडो में भोजन पकाकर छात्र–छात्राओं में वितरित किया जाता है ।
- अनाज के रूप मे 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे जिले को उपलब्ध कराया जाता है ।

शाला का स्तर	01.04.14 को शेष	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
प्राथमिक	359.45	486.15	154.95	641.10	0	1000.55	778.85	77.80	104186
माध्यमिक	61.34	415.93	125.67	541.60	0	602.94	645.79	100.00	63442

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजना

- ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है ।

वित्तीय प्रतिवेदन(वर्ष 2013–14 एवं 2014–15)

वर्ष	1.4.14 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
2013-14	2.955	74.05	24.69	98.74	108.45	210.145	208.803	99
2014-15	1.342	25.55	15.09	40.64	76.00	117.982	112.737	96

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन :–

1) योजना क्या है –

निराश्रित व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता पहुॅचाना।

2) पात्रता की शर्तें–

म.प्र.के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले।

- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा।
- 18 से 59 वर्ष की परित्यक्तता महिला।
- 6 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्तजन (न्यूनतम निःशक्तता 40 प्रतिशत)

3) क्या लाभ मिलेगा–

150/– रू. प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

4) समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 30128 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

- **योजना क्या है–**
  यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है।
- **पात्रता की शर्तें–**
  जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- **क्या लाभ मिलेगा–**
  - 60 वर्ष एवं 65 वर्ष से कम आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 200/– रू.दी जाती है।
  - 65 वर्ष एवं 80 वर्ष से कम आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 275/– रू.दी जाती है।
  - 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 500/– रू.दी जाती है।
- वर्ष 2014–2015 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 38831 हितग्राहियों को पेंशन का लाभ दिया गया है।

वित्तीय प्रगति :–

योजना का नाम	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	265.81	265.81	–	265.81	265.81	100
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	–	665.87	665.87	–	665.87	665.87	100

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–

1) योजना क्या है–

यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया (स्त्री/पुरूष) की मृत्यु होने पर आश्रितों को एक मुश्त सहायता करना।

2) पात्रता की शर्तें–

- परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।

- परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाय जिसकी कमाई से ही अधिकांशतः परिवार का गुजारा होता हो।
- मृत्यु दिनांक को मृत्यु सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- परिवार में पति–पत्नि अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां, माता–पिता शामिल होगें।

3) क्या लाभ मिलेगा–

- मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को रू. 20000/– का क्रास चैक एक मुश्त भुगतान किया जाता है।

4) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत अभी तक कुल **382** हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–

1) योजना क्या है–

यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

2) पात्रता की शर्ते–

- ऐसी विधवा महिला जिनकी आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच हो।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।

3) क्या लाभ मिलेगा–

- 300/– प्रतिमाह पेंशन (भारत सरकार द्वारा)

4) योजनान्तर्गत 16266 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :–

1) योजना क्या है–

यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के 80 प्रतिशत निःशक्तता वाले निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

2) पात्रता की शर्ते–

- ऐसे निःशक्त जिनकी आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच हो।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- चिकित्सक द्वारा जारी 80 प्रतिशत या इससे अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र।

3) क्या लाभ मिलेगा–

- 300/– प्रतिमाह पेंशन (भारत सरकार द्वारा)

4) योजनान्तर्गत 3966 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना :–

1) ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्याऐं हैं और कन्याओं के विवाह उपरांत उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 01.04.2013 से 500/– रुपये प्रतिमाह प्रारम्भ की गई है।

2) मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।

3) दंपत्ति में से किसी एक की न्यनतम आयु 60 वर्ष हो।

4) दंपत्ति की संतान मात्र पुत्री हो, पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।

5) दंपत्ति आयकर दाता न हो।

6) अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक 624 दम्पत्तियों को लाभांवित किया गया।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :–

- जरूरत मंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता को सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- मध्य प्रदेश का निवासी हो तथा परिवार मध्य प्रदेश में निवासरत् हो।
- कन्या की उम्र 18 एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिऐ 05 वर्ष तक के लिऐ सावधि जमा रूपये 10000/– हजार
- विवाह संस्कार के लिऐ आवश्यक सामग्री (मंगलसूत्र, बिछिया, पायजेब(चांदी के) तथा 07 बर्तन) रुपये 5000/– हजार
- कन्या की गृहस्थी की सामग्री हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिऐ रुपये 7000/– हजार
- सामुहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिऐ निकाय यथा – नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूति हेतु रुपये 3000/– हजार
- अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक कुल 208 जोडों को योजना का लाभ दिया गया।

निःशक्त छात्रवृत्ति योजना :–

- निःशक्त छात्र/छात्राओं को शिक्षण/प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। प्रदेश के सभी वर्ग के कक्षा 1लीं से स्नातकोत्तर एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से शासकीय/अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् निःशक्त छात्र/छात्राओं को निःशक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं जिनकी निःशक्तता जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक का प्रमाण पत्र जारी किया है।
- निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार हैः–

क्र.	स्कूल का स्तर	कक्षा	दर	दस माह हेतु
1	प्राथमिक एवं मिडिल स्तर	1 से 8 तक	रू. 50/–	रू. 500/–
2	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/आईटीआई	9 से 12 तक	रू. 100/–	रू. 1000/–
3	स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्निक	सभी संकाय को एक समान	रू. 200/–	रू. 2000/–

दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता

क्र.	स्कूल का स्तर	दर	दस माह हेतु
1	स्नातक/पॉलीटेक्निक	रू. 100/–	रू. 1000/–
2	स्नातकोत्तर	रू. 125/–	रू. 1250/–
3	तकनीकी पाठ्यक्रम	रू. 150/–	रू. 1500/–

प्रोत्साहन राशि

परीक्षा का स्तर	नियमित प्रवेश	प्रोत्साहन राशि
कक्षा 8वीं	कक्षा 9वीं	रू. 2500/– एकमुश्त
कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	
कक्षा 12वीं	स्नातक (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर)	रू. 3000/– एकमुश्त

छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो।
2. 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनकों चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
3. उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण देने की योजनाः–

- विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के शारीरिक एवं सामाजिक पुनर्वास हेतु शल्य चिकित्सा एवं कृत्रिम/सहायक उपकरण की सुविधा निःशुल्क सुलभ कराई जाती है। ?
- ऐसे निःशक्त जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है तथा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
    - निःशक्त व्यक्ति एवं उसके परिवार की वार्षिक आय रुपये 96000/– से अधिक न हो।
    - कक्षा 12 से उच्च स्तर तक के अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को उनके पूरे शैक्षणिक काल में केवल एक बार टेप रिकार्ड उपलब्ध कराया जाता है किन्तु उनके अभिभावक की वार्षिक आय 96000/– से अधिक न हो।

योजनान्तर्गत क्या लाभ मिलेगा–

1. ट्रायसाईकिल, 2. वैशाखी, 3. व्हील चेयर, 4. कैलीपर्स, 5. ब्लाईड स्टिक, 6. कृत्रिम पैर–हाथ, 7. श्रवण यंत्र, टेप रिकार्डर आदि।

मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना–2007 :–

- प्रसूति सहायता चिकित्सा सहायता योजना चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

आम आदमी बीमा योजना :–

- यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीोपित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।
- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें–
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/– रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।
- जिले में योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल अप्रैल 14 से अक्टूबर 14 तक 48618 प्रकरण एलआईसी जबलपुर को प्रेषित किये गये।

जनश्री बीमा योजना :–

- यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीोपित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।
- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीमित सदस्य।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें–
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/– रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।
- जिले में योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल अप्रैल 14 से अक्टूबर 14 तक 161447 प्रकरण एलआईसी जबलपुर को प्रेषित किये गये।

अन्त्येष्टि सहायता :–

- अन्त्येष्टि से आशय मृतक के अंतिम संस्कार से है जो उसकी धार्मिक रीति से संपन्न किया जाता हो।
- श्रमिक संवर्ग – श्रमिक संवर्ग से आशय मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित श्रमिक वर्ग की योजनाओं में पंजीकृत सदस्य अथवा लावारिस, अत्यधिक निर्धन, निराश्रित हो से है :–
  1) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
  2) मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना
  3) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना
  4) मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिऐ कल्याण योजना
  5) केश शिल्पी, कल्याण योजना
  6) मध्यप्रदेश हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना
  7) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालित योजनाऐं
  8) दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/राज्य बीमारी सहायता/मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
  9) आम आदमी बीमा योजना/जनश्री बीमा योजना
  10) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु मृतक मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
- जिन हितग्राहियों को अन्त्येष्टि सहायता और जिन मृतकों के लिये अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उनका नाम समग्र पोर्टल (समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पोर्टल) पर नाम दर्ज होगा और भुगतान की गई राशि का उसमें विवरण देना होगा।
- अन्येष्टि सहायता हेतु रुपये 2000/– की राशि।
- अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक कुल 67 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया।

बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को सहायता अनुदानः–

- यह योजना केवल ऐसे बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये आर्थिक सहायता देना है।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक/बहुविकलांग होना चाहिये।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का 40 प्रतिशत हो।
- हितग्राही को 500/– रू. प्रतिमाह।

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिऐ उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता, योजना 2008 :–

- यह योजना कक्षा 10+2 की शिक्षा के पश्चात् इंजीनियरिंग/मेडिकल/कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित निःशक्त छात्र–छात्राओं के लिये है।
- छात्र/छात्रा की निःशक्तता कम से कम 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- छात्र/छात्रा मध्य प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो।
- निःशक्त छात्र/छात्रा के माता–पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 96000/– से अधिक न हो।
- छात्र/छात्रा को शिक्षण शुल्क।
- छात्र/छात्रा को निर्वाह भत्ता 1500/– प्रतिमाह 10 माह तक।
- छात्र/छात्रा को परिवहन भत्ता। नगर निगम क्षेत्र के लिये रू.500/– प्रतिमाह 10 माह तक एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू. 300/– प्रतिमाह 10 माह तक।

निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं कें सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना 2008 :–

- शासन द्वारा योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक पुनर्वास की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई है।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 20000/–
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 30000/–
- अंतिम चयन होने पर रू. 20000/–
- प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी।

निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

- कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर 9वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर 11वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में एवं 12वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर

प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी। उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी।

- कक्षा 8वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- कक्षा 10वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- कक्षा 12वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- कक्षा 8वीं से 9वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 2500/– एक मुश्त।
- कक्षा 10वीं से 11वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 2500/– एक मुश्त।
- कक्षा 12वीं से स्नातक की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 3000/– एक मुश्त।

लीगल गार्जियनशि (राष्ट्रीय न्याय) :–

- मानसिक मंदता, स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, बहुविकलांग उक्त श्रेणी के निःशक्तों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जिला लोकल लेवल कमेटी नेशनल ट्रस्ट द्वारा लीगल गार्जियन शिप प्रदान की जाती है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- माता–पिता के जीवित होने या उनके न होने पर नजदीकी रिश्तेदार।
- लीगल गार्जियन के लिये 2 साक्षी जो उसके निवास के आसपास का पड़ोसी या नजदीकी से संबंधित को जानता हो।
- उनके जीवन पर्यन्त समग्र पुनर्वास के लिये व्यवस्था।
- कानूनी संरक्षता प्रदान करना।
- हितग्राही के संपत्ति का संरक्षण।

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना :–

- मानसिक निःशक्त, मानसिक मंदता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, बहुविकलांग उक्त श्रेणी के निःशक्तजनों को 0 वर्ष से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- 1 लाख रू. तक की चिन्हित अस्पताल में उपचार एवं ईलाज।

13 वां वित्त आयोग

वर्ष 2010–11 में शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे जमा कराई जाती है । ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जैसैः–

- ग्राम पंचायत स्तर ई–गवर्नेंस की व्यवस्था
- पंचायतों मे अधोसंरचना विकास एवं परिसंपत्तियों का रख रखाव ।
- पेयजल व्यवस्था एवं जल प्रदाय योजना ।
- पंचायत भवन के कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य कराये गये ।

वित्तीय प्रगति(30 नवंबर 2011)

क्रं.	वर्ष	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	योग
1	2010–11	282.86	279.19	562.05
2	2011–12	–	–	–

अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटन रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण

- भिन्न भिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान की रीति भिन्न भिन्न होती है जो कि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में ही निहीत होती है । दिशा निर्देश से हटकर किसी भी प्रकार का अनुदान नही दिया जाता है । अनुदान की पद्धति योजनाओं की दिशा निर्देशों मतें उपलब्ध है ।
- हितग्राहियो का विवरण जनपद स्तर पर संधारित किया गया है एवं उपलब्ध है ।

दी गई रियायतें/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रो या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालो की प्रविशिष्टयां

- योजना अनुसार हितग्राहियों, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के संचालन हेतु रियायतें/सुविधायें दी जाती है से संबंधित अभिलेख योजनावार कार्यालय में उपलब्ध है ।

धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना के बारे में विवरण

- समस्त योजनाओं के साथ साथ अन्य जानकारियां भी कम्प्यूटराईज की गई है एवं समस्त अभिलेख कम्प्यूटर पर तैयार करने के पश्चात उन्हे इलेक्ट्रानिक्स रूप से सुरक्षित रखा जाता है एवं आवश्यकता पडने पर सूचनाये उपलब्ध हैं ।

अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण

क्रं.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार जैसं माइक्रो फिल्म, रजिस्टर, पुस्तक, फ्लापी	अभिलेखों की प्रकृति समाहित विवरण
1	समस्त योजना की स्वीकृति संबंधी नस्तियां	नस्तियां	स्वीकृत कार्यों की सूची का रजिस्टर संधारण
2	समस्त योजना की लेखा संबंधी नस्तियां	नस्तियां	स्वीकृत कार्यों की राशि जारी करने का कार्यवार विवरण
3	अन्य विविध नस्तियां	नस्तियां	विभिन्न दिशा निर्देश एवं बैठकों संबंधी नस्तियें का संधारण
4	केशबुक	रजिस्टर	समस्त योजनाओं का आय व्यय का विस्तृत विवरण
5	लेजर	रजिस्टर	समस्त योजनाओं हेतु प्रदाय राशि का एजेंसीवार विस्तृत विवरण
6	स्टॉक रजिस्टर	रजिस्टर	कार्यालय में उपलब्ध समस्त सामग्रियों का वस्तुवार विवरण
7	चैकबुक एवं बैंक संबंधी अन्य रिकार्ड	चेकबुक एवं बैंक पासबुक	बैंकों में जमा राशि एवं आहरित राशि का विवरण

अधिनियम, रेगुलेशन, मैन्युअल की सूची

अधिनियम

- पंचायत राज अधिनियम 1993
- राज्य शासन द्वारा जारी समस्त गजट
- सूचना का अधिकार अधिनियिम 2005
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005

रेगुलेशन

मैन्युअल

- एस.जी.एस.वाय.योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- वाटरशेड, हरियाली परियोजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- इंदिरा आवास योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- 12वां एवं 13वां वित्त आयोग की राज्य सरकार की गाईड लाईन
- मूलभूत सुधार कार्य की राज्य सरकार की गाईड लाईन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.

नागरिकों के लिये जिला पंचायत जबलपुर द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये उपलब्ध सुवधियें

- सूचना पटल
- दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था
- अभिलेखों का निरीक्षण
- जिला पंचायत जबलपुर की वेबसाईट www.zpjabalpur.nic.in

लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का नाम

- सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर
- लोक सूचना अधिकारी श्रीमती रूपा शर्मा शुक्ला, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर
- अपीलीय अधिकारी सुश्री नेहा मारव्या, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का नाम

- सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री जी.एस. तेकाम, परियोजना अधिकारी (प्रशासन) जिला पंचायत जबलपुर
- लोक सूचना अधिकारी सुश्री नेहा मारव्या, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर
- अपीलीय अधिकारी श्री शिवनारायण रूपला, कलेक्टर जिला जबलपुर

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का नाम

- लोक सूचना अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, तकनीकी विशेषज्ञ, जिला पंचायत जबलपुर
- अपीलीय अधिकारी सुश्री नेहा मारव्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर

ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जाये :—   आवश्यकतानुसार

आवेदन की तैयारी कैसे करें ?

आवेदक को सूचना लेने के लिये आवेदन लोक सूचना अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी को देना होगा

↓

आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क रू. 10/— जमा करना होगा
(नॉन ज्यूडीशियल पेपर/संबंधित कार्यालय से रसीद कटावें)

↓

मांगी जा रही जानकारी का विवरण देना आवश्यक होगा, लेकिन यह बताना जरूरी नही होगा कि वह सूचना क्यो मांग रहा है और न ही लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी इस बावत पूछताछ करेगा

↓

आवेदन पर स्थायी पता देना आवश्यक होगा
चाही गई जानकारी मिलने की समय सीमा
लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगे जाने पर

↓

या तो 30 दिन के भीतर
सूचना प्रदान करेगा

↓

यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर सूचना को उपलब्ध कराना होगा

या आवेदन निरस्त करेगा

↓

यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदकों को

↓

आवेदन निरस्त करने की कारण बताएं

वह समयसीमा भी बताएं जिसके भीतर अपील की जा सकेगी

आवेदन निरस्त होने के बाद अपील कहां की जाएगी उस व्यक्ति का नाम व पता भी बताना होगा

अगर मांगी गई जानकारी समय पर न मिले तो....................

ऐसी स्थिति में आवेदक को निर्धारित समय सीमा के बाद इसकी शिकायत अपीलीय अधिकारी से करनी चाहिए। आवेदक को आवेदन देते समय आवेदनकी एक अन्य प्रति पर रसीद प्राप्त करें ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

↓

विभाग प्रमुख(लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी)
(सूचना न देने के आदेश पत्र की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभाग प्रमुख के पास अपील की जा सकेगी । रू. 50/— शुल्क के रूप में अवश्य जमा करें । यहां से भी जवाब न मिलने या निर्णय से आवेदक असंतुष्ट है तो

↓

सूचना आयोग

पत्र की तिथि के 90 दिन की अवधि के अंदर राज्य सूचना आयोग में अपील करना होगा यहा आवेदन दो प्रतियों में 100 रू. शुल्क के साथ जमा करें ।

सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क की व्यवस्था

- सूचना के पाने का खर्च 2/– प्रति पृष्ठ
- वृहत आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत
- नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य जहां सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहां नियत किया गया मूल्य ।
- दस्तावेजों की जांच करने का शुल्क पहले घंटे का 50/–रू. शुल्क, पर इसके बाद हर 15 मिनिट के लिए 25/– रू. शुल्क देना होगा । सूचना के लिए 50/–प्रति सीडी या छपे दस्तावेजों की वास्तविक लागत पर ।
- मुद्रित रूप से प्रदान की गई सूचना के लिए प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर, या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रतिलिपि के लिए 2/– प्रति पृष्ठ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम.....
2. पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाना है.....
3. दूरभाष क्रमांक.....
4. आवेदन देने की दिनांक
5. कार्यालय का नाम.....
6. चाही गई जानकारी का विवरण.....
7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना.....
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस रू. 10/–नगद/स्टाम्प (बी.पी.एल सूची के सदस्यों को देय नही) रसीद क्रं.....एवं दिनांक.....
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नही.....हां/नही यदि हां तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक.....

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

टीपः– यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

– –

पावती

आवेदन प्राप्त होने की दिनांक.....

1. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की दिनांक.....
2. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी । (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(पदनाम रबर सील)